इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023—माघ 5, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023

क्र. 1528-32-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०२३

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा १० का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ (क्रमांक २४ सन् २००७) की धारा १० में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(ख) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्तियां, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/या चयन प्रक्रिया का संचालन करना और उनके अनुरोध पर ऐसा चयन करना;

(ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे क्रियाकलाप करना, जो युवा छात्रों को विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिये सहायता करें;

(घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना विकास के लिए ऐसे क्रियाकलाप संचालित करना, जो छात्रों के हित में हों.''.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023

क्र. 1528-32-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 5 of 2023

THE MADHYA PRADESH EMPLOYEES SELECTION BOARD (AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Employees Selection Board Act, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Employees Selection Board (Amendment) Act, 2022.

2. In Section 10 of the Madhya Pradesh Employees Selection Board Act, 2007 (No. 24 of 2007), for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 10.**

"(b) to develop the selection systems and/or conduct selection process in respect of the appointments which are outside the purview of the Madhya Pradesh Public Service Commission, being made by the State Government, Central Government, public sector undertakings, semi-Government institutions and to conduct such selection on their request:

(c) to undertake such activities with prior approval of the State Government which will help young students for preparation of various entrance and recruitment examinations;

(d) to conduct such activities with prior approval of the State Government, for infrastructure development of various colleges and educational institutions of the State in the interest of students.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.